समाहरणालय, मुंगेर

(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीया सांसद श्रीमती कहकशाँ प्रवीण, (राज्य सभा) के सांसद निधि के अधीन अनुशंसित योजना का प्राक्कलन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–332 दिनांक–08.05.2018 द्वारा तकनीकि अनुमोदन के उपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है। माननीया सांसद ने पत्रांक– MP/RS/BGP/403/2018 दिनांक–20.06.2018 द्वारा प्राप्त प्राक्कलन पर सहमति प्रदान की गयी है तथा जिला योजना पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा राशि भी प्राप्त है।

सम्यक विचारोपरांत तकनीकि अनुमोदन के आलोक में स्तम्भ 5 में योजना पर अंकित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। योजना कार्यान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के आलोक में निविदा माध्यम से कराई जाएगी। माननीय सांसद को कार्य प्रारंभ करने एवं शिलान्यास / उद्घाटन की तिथि से अवगत करायेंगे।

क0 सं0	योजना का नाम	प्रखंड	तकनीकी स्वी0 राशि (रूपये में)	प्रशासनिक स्वी0 राशि (रूपये में)	विमुक्त की जा रही राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
01	मुंगेर नगर निगम अन्तर्गत वार्ड नं0–39 में मो0 बबलू के घर से लेकर ईदगाह होते हुए मो0 खुरशीद रायन के घर तक हजरतगंज बाड़ा में पी0सी0सी0 सडक का निर्माण	नगर निगम, मुंगेर	494600.00	494600.00	370950.00

कुल विमुक्त की जा रही राशि मो0–370950.00 (तीन लाख सत्तर हजार नौ सौ पचास) रू0 मात्र।

उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर निम्नलिखित शर्तो के अधीन कराना सुनिश्चित करेंगे।

शर्ते–

1. कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
2. कार्यकारी एजेंसी योजनाओं का कार्य निविदा माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कराना सुनिश्चि करेंगे तथा वे इसके लिये पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. राशि का संधारण एवं व्यय बिहार वित्तीय नियमावली के तहत संधारित किया जाय।
4. किसी भी परिस्थिति में इस राशि का विचलन अयन्त्र नही होगा।
5. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ कराये जाने के साथ साईन बोर्ड लगाया जायेगा जिसपर योजना का नाम, योजना का मद, प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम, संवेदक का नाम तथा योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित की जायेगी।
6. योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के पूर्व इसका रंगीन फोटो लिया जाय तथा इसे अभिलेख मे रखा जाय। इसी प्रकार एक रंगीन फोटो कार्य के मध्य में तथा एक फोटो योजना पूर्ण होने के पश्चात लिया जाय और इसे अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जाय।

8. योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक निश्चित रूप से जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
9. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना स्थल सरकारी जमीन हो, किसी भी परिस्थिति में निजी/रैयती जमीन पर योजना कार्यान्वित नही करायी जायेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वर्णित कार्य पिछले पांच वर्षो से किसी अन्य मद से नही कराया गया हो।
10. यदि संबंधित भूमि गैरमजरूआ आम ज्ञात होती है तो कार्यान्वयन एसेंसी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व यह सूनिश्चित कर लेगे कि राज्य सरकार के स्तर से भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।
11. योजना स्थल किसी अन्य विभाग की भूमि हो तो कार्यकारी एजेंसी उस विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही योजना का कार्य प्रारंभ करायेगे।
12. योजना स्थल अंशतः या पूर्णताः वन क्षेत्र में पड़ता हो तो कार्यकारी एजेंसी वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे।
13. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित हो लेंगे योजना स्थल विवाद रहित हो।

ह०/-

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।

ज्ञापांक 539 / जि०यो०, दिनांक 4-8-18

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– नाजिर, जिला योजना कार्यालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का चेक नियमानुसार कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को हस्तगत कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि– माननीया सांसद श्रीमती कहकशाँ प्रवीण, (राज्य सभा) को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 4.8.18

जिला योजना पदाधिकारी
मुंगेर।